

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 473]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 1 अक्टूबर 2020 — आश्विन 9, शक 1942

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 7 सितम्बर 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-70/ 2020/ वाक/ पाँच (99).— छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन 2005) की धारा 71 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006 में निम्नलिखित और आवश्यक संशोधन करती है, अर्थात:-

संशोधन

नियम 56 के उप-नियम (1) के खण्ड (दो) के पश्चात निम्नलिखित जोड़ा जाए-

“(तीन) छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 या केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 तथा छत्तीसगढ़ माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण के समय या समय-समय पर यथा संशोधित उसके ई-मेल पते पर संसूचना भेजने के द्वारा;”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनिंदर कौर द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 7 सितम्बर 2020

क्रमांक एफ 10-70/2020/ वाक/ पाँच (99).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-70/2020/वाक/पाँच (99) दिनांक 07-09-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनिंदर कौर द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 7th September 2020

NOTIFICATION

No. F 10-70/2020/CT/V (99).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 71 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government, hereby, makes the following further necessary amendment in the Chhattisgarh Value Added Tax Rules, 2006, namely:-

AMENDMENT

After in clause (ii) of sub-rule (1), the following shall be inserted,-

- “(iii) by sending a communication to his e-mail address provided at the time of registration under Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 OR Central Goods and Services Tax Act, 2017 and Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 or as amended from time to time;”

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANINDER KAUR DWIVEDI, Principal Secretary.